विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 22 सितंबर, 2008 को पूर्वाहन 10.00 बजे आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 28वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करने के प्रस्तावों तथा विविध अनुरोधों पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की अठ्ठाईसवीं (28वीं) बैठक श्री गोपाल के पिल्लई, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 22 सितंबर, 2008 को पूर्वाहन 10.00 बजे कमरा नंबर 108, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। **प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (अनुबंध 1)।**

मद संख्या 1 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

(क) औपचारिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :

1. एपीआईआईसी औद्योगिक पार्क, मकवारापालेम मंडल, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश में 779.43 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स अनार्क एल्युमिनियम लिमिटेड द्वारा एल्युमीना / एल्युनियम रिफाइनिंग, स्मेल्टिंग, संबद्ध प्रक्रियाओं, उत्पादों तथा कच्चा माल उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 1) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने एपीआईआईसी औद्योगिक पार्क, मकवारापालेम मंडल, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश में 779.43 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स अनार्क एल्युमिनियम लिमिटेड द्वारा एल्युमीना / एल्युनियम रिफाइनिंग, स्मेल्टिंग, संबद्ध प्रक्रियाओं, उत्पादों तथा कच्चा माल उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए गृह मंत्रालय से सुरक्षा स्वीकृति के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. ग्राम एड्डुर / एलावुर, गुम्मुडिपुंडी तालुक, जिला तिरुवल्लूर, चेन्नई, तमिलनाडु में 17.18 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स फ्रंटियर लाइफलाइन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 3) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम एड्डुर / एलावुर, गुम्मुडिपुंडी तालुक, जिला तिरुवल्लूर, चेन्नई, तमिलनाडु में 17.18 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स फ्रंटियर लाइफलाइन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए गृह मंत्रालय से सुरक्षा स्वीकृति के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

3. ग्राम बेहरामपुर एवं बलोला, जिला गुड़गांव, हरियाणा में 11.028 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स मिकाडो रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 7) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम बेहरामपुर एवं बलोला, जिला गुड़गांव, हरियाणा में 11.028 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स मिकाडो रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

4. प्लाट नंबर 11, सेक्टर 144, नोएडा में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स डायमंड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 10) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्लाट नंबर 11, सेक्टर 144 नोएडा, में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स डायमंड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

5. प्लाट नंबर -9, सेक्टर 143, ग्रेटर नोएडा में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स आर सी इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 11) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्लाट नंबर टीजेड -9, तकनीकी क्षेत्र, ग्रेटर नोएडा में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स आर सी इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

6. संथाल जंक्शन, फतेहवाड़ी कैनाल के पास, तालुक सानंद, जिला अहमदाबाद, गुजरात में 10.68 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स माइरोन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 12) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने संभल जंक्शन, निकटवर्ती फतेहवाड़ी नहर, तालुका

सानंद, जिला अहमदाबाद, गुजरात में 10.68 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स मायरोन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

7. ग्राम वेन्काडु, श्रीपेरंबदूर तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में 11.89 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर सहित आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स जे गी हाईटेक इन्फ्रावेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 13) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम वेन्काडु, श्रीपेरंबदूर तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में 11.89 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स जे गी हाईटेक इन्फ्रावेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

8. ग्राम रटचुरीपाली, पुलीवेंडुला मंडल, कपाडा जिला, आंध्र प्रदेश में 31.186 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रोद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 15):

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम रटचुरीपाली, पुलीवेंडुला मंडल, कपाडा जिला, आंध्र प्रदेश में 31.186 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जैव प्रोद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए गृह मंत्रालय से सुरक्षा स्वीकृति के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

9. ग्राम बानस हरिया, जिला गुड़गांव, हरियाणा में 26.56 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स ओरिएंट क्राफ्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 16) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम बानस हरिया, जिला गुड़गांव, हरियाणा में 26.56 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स ओरिएंट क्राफ्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

10. पुणे, महाराष्ट्र में 10.8 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स कैवलकेड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 22) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने पुणे, महाराष्ट्र में 10.8 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स कैवलकेड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए अधिसूचना से पूर्व संपूर्ण भूमि के लिए पंजीकृत पट्टा / बिक्री विलेख प्रस्तुत करने के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

11. नासिक, महाराष्ट्र में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स सन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 25) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने नासिक, महाराष्ट्र में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स सन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए अधिसूचना से पूर्व संपूर्ण भूमि के लिए पंजीकृत पट्टा / बिक्री विलेख प्रस्तुत करने के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

12. ग्राम चाला, तालुक परडी, जिला वलसाड, गुजरात में 11.11 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स मेक्सस कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 28) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि के दो टुकड़ों पर विकासक का कब्जा है जो एक ग्राम सड़क द्वारा अलग हो रही है। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि अनुमोदन केवल भूमि के उस खंड के लिए प्रदान किया जा सकता है जो संस्पर्शी तथा 10 हेक्टेयर से अधिक है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम चाला, तालुक परडी, जिला वलसाड, गुजरात में 11.11 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स मेक्सस कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

13. गोडापैसल, अलबोनी, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल में 1804 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इस्पात एवं संबद्ध उत्पादों के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स जेएसडब्ल्यू बंगाल स्टील लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 29) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने गोडापैसल, अलबोनी, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल में 1804 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स जेएसडब्ल्यू बंगाल स्टील लिमिटेड द्वारा इस्पात एवं संबद्ध उत्पादों के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी कहा कि आगे चलकर विकासक 1000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर कब्जा के मद्देनजर क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के बहु उत्पाद एसईजेड में परिवर्तन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है।

14. खेड़ तालुक, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 1085.92 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स भारत फोर्ज लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए अनुरोध (मद संख्या 2 - क्रमांक 1) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर संयुक्त उद्यम (जेवी) पार्टनर एमआईडीसी का कब्जा है। भारत फोर्ज ने एमआईडीसी के साथ अपने संयुक्त उद्यम अर्थात मैसर्स खेड़ इकोनॉमिक इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम में अनुमोदन के अंतरण के लिए भी आवेदन किया है। यह भी नोट किया गया कि अनुमोदन के अंतरण के संबंध में सीबीडीटी द्वारा उठाए गए मुद्दे को विधि मंत्रालय के पास भेजा जा चुका है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने खेड़ तालुक, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 1085.92 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जेवी द्वारा बहु उत्पाद के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

15. **छतरपुर, जिला गंजम, उड़ीसा में 105.19 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स सराफ एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा खनिज आधारित उद्योगों के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए अनुरोध (मद संख्या 2 - क्रमांक 2) :**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए विकासक के अनुरोध मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया और छतरपुर, जिला गंजम, उड़ीसा में 105.19 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स सराफ एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा खनिज आधारित उद्योगों के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया।

16. डेरा बस्सी, जिला एसएएस नगर, मोहाली, पंजाब में 17.03 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स शिप्रा एस्टेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित

करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए अनुरोध (मद संख्या 2 - क्रमांक 3) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए विकासक के अनुरोध मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया और डेरा बस्सी, जिला एसएएस नगर, मोहाली, पंजाब में 17.03 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स शिप्रा एस्टेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया।

17. गोरई - मनोरी - उत्तान क्षेत्र, महाराष्ट्र में 110 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स एस्सेल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए अनुरोध (मद संख्या 2 - क्रमांक 4) :

राजस्व विभाग ने टिप्पणी की कि प्रशिक्षण एवं शिक्षा, एमआईसीई, स्वास्थ्य एवं तंदरुस्ती सेवा आदि जैसी गतिविधियों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे कोई भौतिक निर्यात नहीं होता है। विस्तृत विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक को स्पष्ट किया जाना चाहिए कि वह एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 2 (एम), 2 (जेड) (सी), एसईजेड नियमावली के नियम 76 तथा एसईजेड अधिनियम 2005 की दूसरी अनुसूची के साथ संलग्न आयकर अधिनियम की धारा 10 (एए) के स्पष्टीकरण 1 (2) के प्रावधानों के अनुसार प्रचालन करेंगे। अनुमोदन बोर्ड ने आगे नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए विकासक के अनुरोध मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया और गोरई - मनोरी - उत्तान क्षेत्र, महाराष्ट्र में 110 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स एस्सेल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया।

18. एमआईडीसी फाल्टन, जिला सतारा, महाराष्ट्र में 101.25 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए अनुरोध (मद संख्या 2 - क्रमांक 6) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए विकासक के अनुरोध मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया और एमआईडीसी फाल्टन, जिला सतारा, महाराष्ट्र में 101.25 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास

निगम द्वारा इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया।

(ख) सैद्धांतिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :

1. गरगेट, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में 3230 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 2) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है तथा राज्य सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने गरगेट, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में 3230 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए गृह मंत्रालय से सुरक्षा स्वीकृति के अधीन सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. ग्राम खासा, जीटी रोड, अमृतसर, पंजाब में 101.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में टेक्सटाइल पार्क के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स इशान डवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 5) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि प्रस्तावित एसईजेड के लिए भूमि की सन्निकटता के बारे में कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम खासा, जीटी रोड, अमृतसर, पंजाब में 101.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स इशान डवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा टेक्सटाइल पार्क के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

3. ग्राम कट्टूपल्ली, एन्नोर के पास, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में 467.55 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में भारी इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 6) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है तथा राज्य सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम कट्टूपल्ली, एन्नोर के पास, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में 467.55 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड द्वारा भारी इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

4. ग्राम खैटर, जिला तिरुनेलवेली, तमिलनाडु में 1000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स तिरुनेलवेली इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 14) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है तथा राज्य सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम खैटर, जिला तिरुनेलवेली, तमिलनाडु में 1000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स तिरुनेलवेली इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया

5. ग्राम शणमुघापुरम, मेलामरधुर और दुरैस्वमीपुरम, तूतुकुडी जिला, तमिलनाडु में 109.25 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स भूमाजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 17) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है तथा राज्य सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम शणमुघापुरम, मेलामरधुर और दुरैस्वमीपुरम, तूतुकुडी जिला, तमिलनाडु में 109.25 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स भूमाजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

6. जिला उदयपुर, राजस्थान में 220 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में भवन सामग्री के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स अरिहंत इनफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 18) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है तथा राज्य सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने उदयपुर, राजस्थान में 220 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स अरिहंत इनफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भवन सामग्री के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

7. कृष्णागिरि जिला, तमिलनाडु में 1182.19 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स ट्रैक टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 19) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है तथा राज्य सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। विचार विमर्श के बाद,

अनुमोदन बोर्ड ने कृष्णागिरी जिला, तमिलनाडु में 1182.19 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स ट्रैक टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड द्वारा बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

8. गांव पढार, तालुक भुज, जिला कच्छ, गुजरात में 155-22-94 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आटोकंपोनंटे और एंसीलरी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स एसपीजी इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 21) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है तथा राज्य सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने गांव पढार, तालुक भुज, जिला कच्छ, गुजरात में **155-22-94** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स एसपीजी इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आटोकंपोनेंट और एंसिलरी के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए गृह मंत्रालय से सुरक्षा स्वीकृति के अधीन सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

9. कलगाम - मरोली क्षेत्र, तालुक उमरगाम, जिला वलसाड, गुजरात में 1100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स गुजरात विट्टल इनोवेशन सिटी लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 23) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है तथा राज्य सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने कलगाम - मरोली क्षेत्र, तालुक उमरगाम, जिला वलसाड, गुजरात में 1100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स गुजरात विट्टल इनोवेशन सिटी लिमिटेड (जीवीआईसीएल) द्वारा बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

10. अहमदाबाद, गुजरात में 1012 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स एवेंचर मल्टीपार्क लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 26) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है तथा राज्य सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने अहमदाबाद, गुजरात में 1012 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स एवेंचर मल्टीपार्क लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ग) आस्थगन के लिए निर्णय :

1. अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में 112 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में खाद्य उत्पादों के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स आनंद एग्रोकेम इंडिया लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 4) :

अनुमोदन बोर्ड ने यह भी कहा कि निवल मूल्य तथा निवेश दोनों ही दिशानिर्देशों से कम हैं। तदनुसार अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।"

2. लखनऊ सुल्तानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 10.633 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बायोटेक के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स अंसल प्रापर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 8) :

अनुमोदन बोर्ड ने पाया कि जिस भूमि पर एसईजेड स्थापित करने का प्रस्ताव है उस पर आवेदक विकासक का कब्जा / स्वामित्व नहीं है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

3. लखनऊ सुल्तानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 10.527 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स अंसल प्रापर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 9) :

अनुमोदन बोर्ड ने पाया कि जिस भूमि पर एसईजेड स्थापित करने का प्रस्ताव है वह न ही संस्पर्शी है और न ही उस पर आवेदक विकासक का कब्जा / स्वामित्व है। तदनुसार अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।"

4. कुनबीवाड़ी, तालुक एवं जिला रत्नगिरि, महाराष्ट्र में 226.03 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पोर्ट आधारित एसईजेड के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स जेएसडब्ल्यू जयगढ़ पोर्ट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 20) :

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि पोर्ट में एसईजेड के लिए कोई मौजूदा पोर्ट होना चाहिए। इस मामले में विकासक बहुत अधिक क्षमता वाले ग्रीन फील्ड पोर्ट का विकास करने जा रहा है। बताया गया कि यह पोर्ट भारतीय बंदरगाह अधिनियम में संलग्न अनुसूची में शामिल बंदरगाहों में से एक है और इसलिए इसे मौजूदा पोर्ट के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। विकासक को परियोजना पर स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए बुलाया गया। गृह मंत्रालय ने भी अभी तक सुरक्षा सहमति प्रदान नहीं की है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया क्योंकि इस संबंध में अधिक जांच की आवश्यकता है कि मौजूदा पोर्ट में क्या शामिल है।

5. ग्राम धनोरी, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 10.88 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र

स्थापित करने के लिए मैसर्स स्काई जोन इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 24) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि का स्वामित्व मैसर्स यर्वदा गडी वाडर मजूर कॉपरेटिव सोसाइटी के पास है। विस्तृत विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने इस संबंध में स्पष्टीकरण के लिए प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया कि क्या कॉपरेटिव सोसाइटी के लिए विकासक के नाम में पट्टा बिक्री विलेख के माध्यम से भूमि का अंतरण करना संभव होगा।

6. रायगढ़, महाराष्ट्र में 2000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स रामेश्वर वैभव डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 27) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि रायगढ़ में भूमि की उपलब्धता का मुद्दा है, जैसा कि अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित पिछले मामलों में से एक में देखा गया। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने राज्य सरकार से इस बात के पुन: सत्यापन के बाद सिफारिश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया कि क्या महाराष्ट्र में दूसरे बहु उत्पाद एसईजेड की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध होगी। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

7. ग्राम फुरसुंगी, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 101.2 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स डी एस कुलकर्णी डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 3 - क्रमांक 1) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकास आयुक्त, एसईईपीजेड के अनुसार, भूमि की रिक्तता के संबंध में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 3 : नाम में परिवर्तन करने / नई कंपनी के नाम में अनुमोदन ट्रांसफर करने के लिए अनुरोध

(i) नाम बदलकर मैसर्स डीएलएफ हरियाणा एसईजेड (अंबाला) लिमिटेड करने के लिए मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड का अनुरोध

(ii) मैसर्स पार्श्वनाथ नालेज पार्क प्राइवेट लिमिटेड के नाम में औपचारिक अनुमोदन के अंतरण के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

(iii) मैसर्स पार्श्वनाथ बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम में औपचारिक अनुमोदन के अंतरण के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

(iv) मैसर्स विंडसम प्रोपबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के नाम में औपचारिक अनुमोदन के अंतरण के लिए मैसर्स जीपी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(v) मैसर्स भारतीय इंटरनेशनल एसईजेड लिमिटेड के नाम में औपचारिक अनुमोदन को ट्रांसफर करने के लिए मैसर्स एपीआईआईसी का अनुरोध

(vi) मैसर्स सांसा इंडिया एसईजेड डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम में औपचारिक अनुमोदन के अंतरण के लिए मैसर्स सांसा इंडिया लिमिटेड का अनुरोध

(vii) नाम परिवर्तित करके मैसर्स एलएंडटी अरुण एक्सेलो आईटी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स अरुण एक्सेलो इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(viii) मैसर्स एसपीएल इंडस्ट्रियल पार्क्स लिमिटेड के नाम में सैद्धांतिक अनुमोदन के अंतरण के लिए मैसर्स सुप्रीम पेट्रोकेम लिमिटेड का अनुरोध

(ix) मैसर्स करंजा इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के नाम में औपचारिक अनुमोदन के अंतरण के लिए मैसर्स चिपलून इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xi) मैसूर, कर्नाटक में नाम बदलकर मैसर्स ऑप्टो इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड करने के लिए मैसर्स ऑप्टो सर्किट्स इंडिया लिमिटेड का अनुरोध

(xii) नाम बदलकर मैसर्स रहेजा एसईजेड लिमिटेड करने के लिए मैसर्स रहेजा हरियाणा एसईजेड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xiii) पेरूर चेट्टीपलयम गांव, कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में नाम में परिवर्तन तथा मैसर्स कोवई हिल्स टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड को औपचारिक अनुमोदन के अंतरण के लिए मैसर्स राकिंडो कोवई टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xiv) नाम परिवर्तित करके मैसर्स श्रीओमजी रियल एस्टेट एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स श्रीओमजी रियल प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि अनुमोदन / शेयर के अंतरण के संबंध में सीबीडीटी द्वारा उठाए गए मुद्दे को विधि मंत्रालय के पास भेजा जा चुका है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त प्रस्तावों को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 4 : क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(i) शेंद्रे, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में एल्युमिनियम तथा एल्युमिनियम संबद्ध उद्योगों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में कटौती के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने शेंद्रे, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में एल्युमिनियम तथा एल्युमिनियम संबद्ध उद्योगों के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल को 118.13 हेक्टेयर से घटाकर 110.31 हेक्टेयर करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के अनुरोध को सन्निकटता बनाए रखने के अधीन तथा इस शर्त के अधीन भी मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विमुक्त किए जाने वाले क्षेत्र में विकासक द्वारा कोई कर लाभ / छूट प्राप्त नहीं की गई है। यदि कोई लाभ लिया गया है तो उन्हें वापस करना होगा।

(ii) नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

नोएडा प्राधिकरण के प्रतिनिधि ने बताया कि दो प्लाटों का विलय नहीं होगा तथा उनके सर्वे नंबर अलग अलग बने रहेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ये दोनों प्लाट संस्पर्शी हैं तथा समान प्रयोजन के लिए विकासक को आवंटित किए गए हैं। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के पहले से अनुमोदित क्षेत्रफल में 10.0256 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्रफल को शामिल करने के लिए मैसर्स डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 20.0512 हेक्टेयर हो जाएगा।

(iii) केसुर्डे, तालुक खंडाला, जिला सतारा, महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में कटौती के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने केसुर्डे, तालुक खंडाला, जिला सतारा, महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल को 200 हेक्टेयर से घटाकर 111.12 हेक्टेयर करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iv) गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए मैसर्स एयरमिड डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने औपचारिक मंजूरी पत्र में निर्धारित शर्त के अनुसार भूमि की सन्निकटता सुनिश्चित करने के लिए गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के पहले से अनुमोदित क्षेत्रफल में 1.5460 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्रफल को शामिल करने के लिए मैसर्स एयरमिड डवलपर्स लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 11.6660 हेक्टेयर हो जाएगा।

(v) कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में एफटीडब्ल्यूजेड एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स जय माता दी इको पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में एफटीडब्ल्यूजेड एसईजेड के पहले से अनुमोदित क्षेत्रफल में 44.15 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्रफल को शामिल करने के लिए, जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 84.775 हेक्टेयर हो जाएगा, के लिए मैसर्स जय माता दी इको पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि सन्निकटता स्थापित करने के लिए उठाए गए कदमों के लिए कोई कर लाभ / छूट प्रदान नहीं की जाएगी।

(vi) मानापक्कम एवं मुगलीवक्कम गांव, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स डीएलएफ इनफो सिटी डवलपर्स (चेन्नई) लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मानापक्कम एवं मुगलीवक्कम गांव, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के पहले से अनुमोदित क्षेत्रफल में 0.702 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्रफल को शामिल करने के लिए मैसर्स डीएलएफ इनफो सिटी डवलपर्स (चेन्नई) लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 17.432 हेक्टेयर हो जाएगा।

(vii) बेल्लांडुर गांव, वरतुर होब्ली, बंगलौर पूर्व तालुक, बंगलौर शहरी जिला, कर्नाटक में मैसर्स प्राइमल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में प्रचालन के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए सह विकासक मैसर्स आरजीए सॉफ्टवेयर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

राज्य सरकार के अनुरोध पर प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया गया था।

(viii) उडुपी, कर्नाटक में अधिसूचित एसईजेड में भूमि के एक अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स सुजलोन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने उडुपी, कर्नाटक में हाइटेक इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड से 0.809 हेक्टेयर के सर्वे नंबर 35/1ए और 35/2 के विमुक्तीकरण के लिए मैसर्स सुजलोन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अनुरोध को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विमुक्त किए जाने वाले क्षेत्र में विकासक द्वारा कोई कर लाभ / छूट प्राप्त नहीं की गई है। **यदि कोई लाभ लिया गया है तो उन्हें वापस करना होगा।**

(ix) अहमदाबाद, गुजरात में फर्मास्युटिकल एसईजेड में क्षेत्रफल की वृद्धि के लिए मैसर्स जायडस इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने अहमदाबाद, गुजरात में उनके फर्मास्युटिकल एसईजेड के पहले से अनुमोदित क्षेत्रफल में 65.66.58 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्रफल को शामिल करने के लिए मैसर्स जायडस इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 114.50 हेक्टेयर हो जाएगा।

(x) छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश में बहु उत्पाद एसईजेड में क्षेत्रफल की वृद्धि के लिए मैसर्स छिंदवाड़ा प्लस डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश में उनके बहु उत्पाद एसईजेड के पहले से अनुमोदित क्षेत्रफल में 1487.076 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्रफल को शामिल करने के लिए मैसर्स छिंदवाड़ा प्लस डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 3487.076 हेक्टेयर हो जाएगा।

मद संख्या 5 : सह विकासकों के लिए अनुरोध

सह विकासक के लिए अनुरोधों पर विचार करते समय सीबीडीटी के प्रतिनिधियों ने दीर्घ अवधि के पट्टों से आय के कर संव्यवहार के मुद्दों को उठाया। अनुमोदन बोर्ड ने पाया कि अनुमोदन बोर्ड द्वारा सह विकासक के लिए खास नियमों एवं शर्तों के लिए प्रदान किए गए अनुमोदन का लागू आयकर अधिनियम एवं नियमावली के तहत कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ लीज रेंटल / डाउन पेमेंट / प्रीमियम आदि के रूप में आय के संव्यवहार से कोई सरोकार नहीं होगा। कर निर्धारण अधिकारी को आयकर अधिनियम के तहत इन राशियों की कराधेयता की जांच करने का अधिकार होगा। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त आपत्ति के अधीन सह विकासकों के निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(i) मैसर्स दाहेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा भड़ूच जिला, गुजरात में विकसित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स टोरेंट एनर्जी लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने भूड़च, गुजरात में मैसर्स दाहेज स्पेशनल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स टोरेंट एनर्जी लिमिटेड के अनुरोध को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि एसईजेड के लिए विकसित किए जा रहे विद्युत दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।

(ii) तिरुवनंतपुरम, केरल में मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, केरल द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने तिरुवनंतपुरम, केरल में मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, केरल द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iii) एर्नाकुलम जिला, केरल में इनफो पार्क द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एर्नाकुलम जिला, केरल में मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, केरल द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

ईटीएल इनफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड द्वारा उथुकुली, पेरुंदुरई जिला, तमिलनाडु में टेक्सटाइल एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ग्रेट इंडियन लिनेन एंड इनफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक और सह विकासक के बीच किया गया सह विकासक करार बहुत स्पष्ट नहीं है। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।"

(v) कोयंबटूर, तमिलनाडु में मैसर्स कोयंबटूर हाइटेक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (चिल) द्वारा विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स बर्गरुएन प्रापर्टीज (नागपुर) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने कोयंबटूर, तमिलनाडु में मैसर्स कोयंबटूर हाइटेक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (चिल) द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में 30.42 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सह विकासक के लिए मैसर्स कोयंबटूर हाइटेक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(vi) मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा मुंद्रा, कच्छ जिला, गुजरात में विकसित किए गए बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स अजुरे लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि मुंद्रा पोर्ट एवं एसईजेड का मुद्दा ईजीओएम में लंबित है। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(vii) मैसर्स सिटी गोल्ड रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ग्रेस्टोन प्रीमाइसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि करार में संशोधन करने के लिए प्रदान की गई सलाह के बावजूद अभी भी एसईजेड के विकास की संपूर्ण जिम्मेदारी विकासक से सह विकासक को शिफ्ट करने का प्रस्ताव किया गया है। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड ने इस सलाह के साथ प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया कि संशोधित सह विकासक करार प्रस्तुत किया जाए ताकि प्रस्ताव पर आगे विचार किया जा सके।

(viii) रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स ब्राह्मणी इनफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स मंत्री टेक्नोलॉजी पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक और सह विकासक के बीच किया गया सह विकासक करार बहुत स्पष्ट नहीं है। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।"

(ix) प्लाट नंबर 202, सेक्टर केपी-5, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में मैसर्स गैलेंट इनफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित करने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स बीपीटीपी स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि करार के अनुसार यह संदेश प्राप्त हो रहा है कि सह विकासक को स्वामित्व अंतरित किया जा रहा है। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड ने विकासक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(x) प्लाट नंबर 3, सेक्टर 140ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश में मैसर्स जुबिलेंट इनफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित करने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ट्रैक इनफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि करार के अनुसार यह संदेश प्राप्त हो रहा है कि सह विकासक को स्वामित्व अंतरित किया जा रहा है। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड ने विकासक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 1 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स ओएसई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

प्रसंस्करण क्षेत्र

क्र. सं.	इन्फ्रास्ट्रक्चर और इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं
1.	संचार
	• टेलीफ़ोनिक और ब्रॉडबैंड

गैर प्रसंस्करण क्षेत्र

क्र. सं.	इन्फ्रास्ट्रक्चर और इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं	अनुमोदित मात्रा
1.	एसईजेड के कर्मचारियों के लिए कार्यालय स्थान	1,000 वर्गमीटर
2	मल्टीलेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल)	5000 कारों के लिए
3.	मनोरंजन की सुविधाएं • शॉपिंग मॉल • रेस्टोरेंट • पुस्तकालय	 1000 वर्गमीटर 1000 वर्गमीटर 500 वर्गमीटर
4.	आवास/ सर्विस अपार्टमेंट	20,235 वर्गमीटर
5.	बस बे	
6.	क्लीनिक और मेडिकल सेंटर	1000 वर्गमीटर
7.	बिजली उत्पादन (मेगावाट में) • विद्युत आपूर्ति • कैप्टिव पावर	 • 22 मेगावाट • 30 मेगावाट

(i) सोहना, गुड़गांव जिला, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स लक्सर साइबर सिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्रम संख्या	**गतिविधियां**	**अनुमोदित मात्रा**
1.	शॉपिंग आर्केड	1000 वर्गमीटर
2.	कार्यालय स्थान	1000 वर्गमीटर
	कुल	2000 वर्गमीटर

(ii) सेक्टर 30, सिलोखेड़ा गांव, गुड़गांव में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	**गतिविधियां**	**अनुमोदित मात्रा**
1.	वाणिज्यिक कंप्लेक्स / कार्यालय स्थान	2000 वर्गमीटर

(iii) कोयंबटूर, तमिलनाडु में हाइटेक इंजीनियरिंग एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सुजलोन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	**गतिविधियां**	**कुल अनुमोदित मात्रा**
1	रसोई / कैंटीन का निर्माण	2921 वर्गमीटर (पहले से अनुमोदित 1820 वर्गमीटर सहित)

(v) बड़ोदरा, गुजरात में हाइटेक इंजीनियरिंग एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सुजलोन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	**गतिविधियां**	**कुल अनुमोदित मात्रा**
1	कस्टम कार्यालय और सुरक्षा	523 वर्गमीटर (पहले से अनुमोदित 434

	ब्लाक का निर्माण	वर्गमीटर सहित)

अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में भी निम्नलिखित अधिकृत गतिविधि के लिए मंजूरी प्रदान की :

क्रम संख्या	गतिविधि / मद	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1.	फर्स्ट एड सेंटर / डिस्पेंसरी का निर्माण	291

(vi) उडुपी, कर्नाटक में हाइटेक इंजीनियरिंग एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सुजलोन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	गतिविधि / मद	अनुरोध की गई कुल मात्रा
1	सुरक्षा ब्लाक एवं कस्टम कार्यालय का निर्माण	800 वर्गमीटर (पहले से अनुमोदित 730 वर्गमीटर सहित)
2	केन्द्रीकृत रसोई / कैंटीन का निर्माण	2921 वर्गमीटर (पहले से अनुमोदित 1720 वर्गमीटर सहित)

अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में भी निम्नलिखित अधिकृत गतिविधि के लिए मंजूरी प्रदान की :

क्रम संख्या	गतिविधि / मद	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1.	फर्स्ट एड सेंटर / डिस्पेंसरी का निर्माण	291

(vii) चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स यूनीटेक इनफोपार्क लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	विवरण	अनुमोदित मात्रा
1.	मल्टीलेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल)	लगभग 2550 वाहनों के लिए
2.	विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं तथा ईंधन भंडारण की सुविधाओं सहित)	80 केएल के ईंधन टैंकेज के साथ 18 मेगावाट

3.	क्लब हाउस, इंडोर या आउटडोर गेम, जिम आदि सहित मनोरंजन की सुविधाएं	1225 वर्ग मीटर
4.	कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस	3675 वर्ग मीटर
5.	कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि स्वचालित टेलर मशीन, क्रेच, चिकित्सा केन्द्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएं	2640 वर्ग मीटर
6.	शॉपिंग अर्काडे और/या रिटेल स्पेस	490 वर्गमीटर
7.	व्यवसाय और/या सम्मेलन केन्द्र	2425 वर्गमीटर
8.	पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र	955 वर्गमीटर
9.	वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं	955 वर्ग मीटर
10.	ड्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां	अपेक्षा के अनुसार

(viii) ग्राम छरोड़ी एवं ट्रागढ़, जिला अहमदाबाद, गुजरात में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स गणेश हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

(i) स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय, पुलिस चौकियां आदि
(ii) निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइनें और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं
(iii) कार्यालय स्थान
(iv) मल्टीलेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल)
(v) विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित)
(vi) पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र
(vii) वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं
(viii) ड्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां

अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में भी निम्नलिखित अधिकृत गतिविधि के लिए मंजूरी प्रदान की :

क्र. सं.	गतिविधियां	अनुमोदित मात्रा
1.	शॉपिंग आर्केड / रिटेल सर्विसेज	1,000 वर्गमीटर

2.	आवास/ सर्विस अपार्टमेंट	10,000 वर्गमीटर

(ix) जिगनी लिंक रोड औद्योगिक क्षेत्र, बंगलौर में जैव प्रौद्योगिकी एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स बायोकॉन लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने हेलीपैड के लिए अनुरोध को मंजूरी प्रदान न करने का निर्णय लिया।

(x) नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स आचविस साफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	**गतिविधियां**	**अनुमोदित मात्रा**
1.	बैकअप डीजल जनरेटर	कुल पावर बैकअप - 25000 केवीए 415V 1500 केवीए मूक डीजी सेट (2) 415V 2000 केवीए मूक डीजी सेट (2) 11KV 2000 केवीए मूक डीजी सेट (9)

(xi) सोनीपत, हरियाणा में इंजीनियरिंग एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स अंसल कामधेनु इंजीनियरिंग एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	**गतिविधियां**	**अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)**
1.	कर्मचारी कल्याण की सुविधाएं	
	a) केमिस्ट शॉप	150
	b) वर्कर्स कैंटीन	4500
2.	बैंक	1000
3.	सुविधा प्रबंध कार्यालय	1000
4.	पावर सब स्टेशन और कैप्टिव पावर उत्पादन	50 मेगावाट (लगभग)
5.	व्यवसाय सम्मेलन और प्रदर्शनी	1500

	केन्द्र	

अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में भी निम्नलिखित अधिकृत गतिविधि के लिए मंजूरी प्रदान की :

अधिकृत गतिविधियां

क) आवासीय तथा वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए बेसमेंट पार्किंग और मल्टी लेवल पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित एवं मैनुअल)।
ख) ट्रक और बस पार्किंग

क्र. सं.	**गतिविधियां**	**अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)**
1.	शॉपिंग आर्केड / रिटेल सर्विसेज	50000 (विकास आयुक्त चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए प्रगति की निगरानी करेंगे)
2.	आवासीय अपार्टमेंट	100 वर्गमीटर के औसत आकार की 3900 यूनिटें
3.	सर्विस अपार्टमेंट	100 वर्गमीटर के औसत आकार की 100 यूनिटें
4.	100 बेड का अस्पताल	12141
5.	पेट्रोल / गैस रिफिलिंग पंप	6000
6.	टेलीकॉम एक्सचेंज	3000
7.	थाना	250

जहां तक गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में शैक्षिक संस्थाओं को मंजूरी प्रदान करने का संबंध है, अनुमोदन बोर्ड ने एक प्राथमिक स्कूल, एक हायर सेकंडरी स्कूल और एक आईटीआई के प्रावधान के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हुआ तथा विकासक से इनमें से प्रत्येक के लिए क्षेत्रफल का सटीक ब्यौरा प्रदान करने का अनुरोध किया।

(xii) सिलोखेड़ा, गुड़गांव, हरियाणा; हैदराबाद, आंध्र प्रदेश; चेन्नई, तमिलनाडु में मैसर्स डीएलफ लिमिटेड द्वारा विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में संचालित करने के लिए अनुमोदित गतिविधियों में संशोधन के लिए सह विकासक के रूप में मैसर्स डीएलफ यूटिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड में विद्युत आपूर्ति के लिए तैयार किए जा रहे दिशानिर्देशों के अधीन विकासक द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार संशोधनों को मंज़ूरी प्रदान की :

क्र. सं.	**4 जून 2008 को अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया अनुमोदन**	**अनुमोदित संशोधन**
(क)	सिलोखेड़ा, गुड़गांव में एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में गैस टर्बाइन आधारित विद्युत उत्पादन सेट लगाने और संचालित करने के लिए 60 मेगावाट की क्षमता का सह उत्पादन संयंत्र स्थापित करना	प्रसंस्करण क्षेत्र में 60 मेगावाट
(ख)	हैदराबाद में एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 84 मेगावाट की क्षमता वाले विद्युत संयंत्र के लिए	प्रसंस्करण क्षेत्र में 48 मेगावाट
(ग)	चेन्नई में एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 48 मेगावाट की क्षमता वाले विद्युत संयंत्र के लिए	प्रसंस्करण क्षेत्र में 84 मेगावाट

मद संख्या 7 : विदेशी संस्था को सेवाओं की ब्राड बैंडिंग के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स मारूती एक्सपोर्ट्स का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विदेशी संस्था को सेवाएं प्रदान करने हेतु ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स मारूती एक्सपोर्ट्स जो कांडला एसईजेड की यूनिट है, के अनुरोध को कोई डीटीए बिक्री न करने की शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया गया तथा यह शर्त भी रखी गई कि आयात के साथ एक दर एक मिलान में निर्यात किया जाएगा और सभी रीकंडीशंड या रिपेयर्ड या रीइंजीनियर्ड उत्पाद और स्क्रैप या अवशेष या अपशिष्ट का निर्यात किया जाएगा तथा इनमें से किसी भी माल को डीटीए में एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 18 (4) (घ) के परंतुक के अनुसार बेचने या नष्ट करने की अनुमति नहीं होगी।

मद संख्या 8 : एसईईपीजेड एसईजेड में स्थापित करने के लिए प्रस्तावित यूनिट में 100 प्रतिशत एफडीआई के लिए मैसर्स नवटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (नवटेक) का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने एसईईपीजेड एसईजेड में स्थापित करने के लिए प्रस्तावित यूनिट में 100 प्रतिशत एफडीआई के लिए मैसर्स नवटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (नवटेक) के अनुरोध के संबंध में उठाए गए कदम को नोट किया।

मद संख्या 9 : जामनगर में बहु उत्पाद एसईजेड में प्रवेश / निकास के लिए एक अतिरिक्त फाटक के अनुमोदन के लिए मैसर्स रिलायंस जामनगर इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने जामनगर में बहु उत्पाद एसईजेड में प्रवेश / निकास के लिए एक अतिरिक्त फाटक के अनुमोदन के लिए मैसर्स रिलायंस जामनगर इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अनुरोध को इस शर्त के

अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि इस प्रयोजनार्थ अतिरिक्त सरकारी स्टाफ की लागत विकासक द्वारा वहन की जाएगी। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि ऐसे मामलों में प्रवेश / निकास के अतिरिक्त फाटक के अनुमोदन के लिए अलग से दिशानिर्देश तैयार किए जाएं।

मद संख्या 10 : मैसर्स रोटो पंप लिमिटेड, नोएडा द्वारा मंजूरी पत्र (एलओए) के नवीकरण पर अभिवेदन

एजेंडा मद वापस ले ली गई।

अतिरिक्त एजेंडा

मद संख्या 1 : बंगलौर, कर्नाटक में अधिसूचित एसईजेड में भूमि के कुछ अंश के विमुक्तीकरण के लिए मैसर्स सेसना गार्डेन डवलपर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड से 2.44 हेक्टेयर के विमुक्तीकरण के लिए मैसर्स सेसना गार्डेन डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विमुक्त किए जाने वाले क्षेत्र में विकासक द्वारा कोई कर लाभ / छूट प्राप्त नहीं की गई है। यदि कोई लाभ लिया गया है तो उन्हें वापस करना होगा।

******